कार्यालय कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी जिला धमतरी (छ.ग.)

/ /आदेश/ /

क्रमांक 219 /व.लि.–1/2020 धमतरी, दिनांक 27/1/2021

धमतरी जिले में बर्ड फ्लू संक्रमण का मामला सामने आया है। जिसके नियंत्रण एवं रोकथाम करने हेतु जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष में बर्ड फ्लू से संबंधित एवं आमजनों के समस्याओं का समाधान तथा आवश्यक जानकारी प्रदान करने हेतु जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष में अधिकारी/कर्मचारी की आगामी आदेश पर्यन्त ड्यूटी लगाई जाती है –

क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	पदस्थ विभाग का नाम	समय	मोबाईल नं.
1	2	3	4	5	6
1	श्री एन.के.नाग,	सहा.पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	पशु औषधालय कुकरेल	सुबह 06:00 बजे से दोहहर 02:00 बजे तक	96178–34834
2	श्री बी.एल. अग्रवाल,	सहा.पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	मुख्य ग्राम ईकाई राखी	दोपहर 02:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक	99774–71231
3	श्री दिलीप सिन्हा	सहा.पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	पशु औषधालय अकलाडोंगरी	रात्रि 10 बजे से सुबह 06 बजे तक	83191–22026

नियंत्रण कक्ष का दूरभाष क्रमांक 07722–232249 है। नियंत्रण कक्ष में बर्ड फ्लू से प्राप्त शिकायत /समस्या के संबंध में डॉ. जी.पी. सूर्यवंशी, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ मो. नं. 94242–92616 धमतरी को नियुक्त करते हुए उपरोक्त दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को 24 घंटे सुव्यवस्थित संचालन हेतु कंट्रोल रूम में ड्यूटी लगाई जाती है।

01/ उपरोक्तानुसार कर्मचारी कॉलम नं. 05 में उल्लेखित समय अवधि में जिला कार्यालय धमतरी नियंत्रण कक्ष में उपस्थित रहेंगें। बर्ड फ्लू रोग संबंधी विषयों पर पृथक रजिस्टर संधारित करें, बर्ड फ्लू रोग संबंधी ड्यूटी के दौरान संबंधित जानकारी एवं सूचना प्राप्त होने पर संबंधित पंजी में दर्ज करेंगे तथा सूचना तत्काल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं धमतरी को फोन लगाकर जानकारी प्रतिदिन देंगे तथा संबंधित नोडल अधिकारी प्राप्त शिकायत/समस्या की समीक्षा कर प्रतिदिन आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

02/ ड्यूटी अवधि में समाप्त होने पर दूसरे पहर के अधिकारी/कर्मचारी को पंजी में कार्यभार सौंप कर ही कक्ष छोड़ेगें अन्यथा आपकी ड्यूटी अनुपस्थित माना जायेगा।

03/ कंट्रोल रूम ड्यूटी लगाये गये अधिकारी/कर्मचारियों के उपस्थिति के संबंध में समय–समय पर आकस्मिक निरीक्षण भी किया जायेगा। ड्यूटी में अनुपस्थित पाये गये कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

27/1/21

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला धमतरी (छ.ग.)